

13.88 करोड़ से अधिक की समझौता राशि पर चेक बाउंस के 449 मामलों का ऑन स्पॉट निबटारा



15 खंडपीठों के जरिए सुलझाए गए धारा 138 के विवाद, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने किया वर्चुअल उद्घाटन

दुर्ग @ पत्रिका . सुलभ, त्वरित व प्रभावी न्याय की अवधारणा के तहत जिला न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें चेक बाउंस के लंबित मामलों के निराकरण किए गए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया।

विशेष लोक अदालत के लिए गठित 15 खंडपीठ के लिए 1 हजार 1 प्रकरण चिन्हित किए गए थे। इसमें से 449 प्रकरणों का ऑन स्पॉट निराकरण किया गया। इन मामलों में 13 करोड़ 88 लाख 5 हजार 129 रुपए के समझौते किए गए। न्यायालयों के चक्कर काटने के बजाय विधिक सेवा प्राधिकरण

अधिनियम, 1987 की भावना के अनुरूप आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण संवाद से न्याय प्राप्ति के इस व्यवहारिक और प्रभावी माध्यम की इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। इस विशेष लोक अदालत को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विनोद कुजूर के निर्देश पर विशेष त्रि-स्तरीय टीम का गठन किया गया था। इस टीम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा राठौर, अंजली सिंह शामिल थीं।

इस टीम ने अधिवक्ताओं और पक्षकारों से निरंतर प्री-सिटिंग कर उन्हें समझौते के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा मध्यस्थता केन्द्र के मध्यस्थ न्यायाधीशों ने अनेक उलझे हुए मामलों में पक्षकारों को धैर्यपूर्वक समझाइश देकर ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार किया कि सालों पुराने विवाद मिनटों में सुलझ गए।

वकील, बैंक और लॉ स्टूडेंट्स बने सहभागी

इस आयोजन में वकील, बैंक और लॉ स्टूडेंट्स भी सहभागी बनें। वकीलों ने अपने पक्षकारों को अदालती मुकदमों की लंबी प्रक्रिया से बचाते हुए सौहार्दपूर्ण समाधान का रास्ता दिखाया। राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के अधिकारियों व प्रतिनिधियों ने मौके पर मौजूद रहकर लंबित चेक अनादरण मामलों में

लचीला रुख अपनाया और सेटलमेंट को आसान बनाया। लॉ के विद्यार्थियों ने इस लोक अदालत में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। चेक बाउंस के मामलों में अक्सर व्यापारिक संबंध कड़वाहट में बदल जाते हैं। लोक अदालत के जरिए इन मामलों के निपटारे से पक्षकारों के समय, धन व श्रम की बचत हुई है।

449 cases settled in Special Lok Adalat at Durg district



Chief Justice Sinha inaugurating the Special Lok Adalat virtually.

■ Staff Reporter

DURG, July 18

A SPECIAL Lok Adalat for disposing of pending cheque bounce cases filed under section 138 of the Negotiable Instruments Act was on Saturday organised at the Principal District and Sessions Court, Durg.

Total 15 benches were constituted for the settlement of cases and out of 1001 cases identified for settlement, 449 cases were successfully resolved in the first Special Lok Adalat of the ongoing year which was inaugurated virtually by Patron-in-Chief of Chhattisgarh State Legal Services Authority and Chief Justice Ramesh Sinha from Dantewada district.

Secretary of District Legal

Services Authority, Durg, Umesh Kumar Bhagwatkar informed that the settlement amount for the cases resolved remained around Rs 13.88 crore and preparations done by them on district level proved useful in disposing of the pending cases. He said that a team comprising of various judicial officers remained in constant touch with parties in dispute which led to settlement of 449 cases.

Along with mediator advocates, advocates from District Bar Association, Durg encouraged the parties involved to settle their pending disputes. Besides, representatives from various banks too attended the Special Lok Adalat for settlement of pending cheque bounce cases.

विशेष लोक अदालत में चेक बाउंस के 449 प्रकरण समझौते से निराकृत

दुर्ग, 18 जुलाई (देशबन्धु)। धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत वर्ष 2026 की आयोजित प्रथम विशेष लोक अदालत का शुभारंभ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति एवं मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर रमेश सिन्हा द्वारा जिला दंतेवाड़ा से किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के समस्त जिले के न्यायाधीशगण वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

मुख्य न्यायाधीपति द्वारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, पर विशेष लोक अदालत के आयोजन पर सभी जिलों को शुभकामनाएँ एवं बधाई प्रेषित की गयी। उन्होंने लोक अदालत को न्याय सुलभ कराने का प्रभावी माध्यम बताते हुए धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं संबंधित बैंकों से समन्वयपूर्वक कार्य करने का आवाहन



किया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक बाउंस प्रकरण) से संबंधित लंबित मामलों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। दुर्ग जिले में कुल 15 खंडपीठ का गठन किया गया था। जिनके द्वारा कुल 1001 प्रकरण चिन्हांकित किए गए थे जिनमें से कुल 449 मामले निराकृत किए गए तथा समझौता राशि 13,88,05,129 रु. रही।

विशेष लोक अदालत का उद्देश्य

पक्षकारों को आपसी समझौते एवं सौहार्दपूर्ण संवाद के माध्यम से विवादों का त्वरित, कम खर्चीला एवं स्थायी समाधान उपलब्ध कराना था। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की भावना के अनुरूप आयोजित इस विशेष लोक अदालत ने यह सिद्ध किया कि आपसी सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान न्याय प्राप्ति का सबसे प्रभावी एवं व्यवहारिक माध्यम है। इस विशेष लोक अदालत में अपेक्षित एवं उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए, जिसके पीछे जिला स्तर पर की गई सुनियोजित

रणनीति, सतत समन्वय एवं व्यापक पूर्व तैयारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा राठौर एवं अंजली सिंह की एक विशेष टीम गठित की गई थी। उक्त टीम द्वारा संबंधित अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से निरंतर संपर्क स्थापित करते हुए उन्हें आपसी संवाद एवं समझौते के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही, प्रकरणवार सतत अनुश्रवण एवं समन्वय के माध्यम से अधिकाधिक मामलों के सौहार्दपूर्ण निराकरण हेतु अथक एवं सराहनीय प्रयास किए गए।

विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन में जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग का उल्लेखनीय सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता रही।

सुनवाई : दुर्ग में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम अंतर्गत 449 मामले निराकृत

लोक अदालत में चेक बाउंस प्रकरणों के निराकरण को मिली नई गति

नवभारत रिपोर्टर । दुर्ग।

धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत वर्ष 2026 की आयोजित प्रथम विशेष लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति एवं मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर रमेश सिन्हा द्वारा जिला दंतेवाड़ा से किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के समस्त जिले के न्यायाधीशगण वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। मुख्य न्यायाधीपति द्वारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, पर विशेष लोक अदालत के आयोजन पर सभी जिलों को शुभकामनाएँ एवं बधाई प्रेषित की गयी। उन्होंने लोक अदालत को न्याय सुलभ कराने का प्रभावी माध्यम बताते हुए धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, के अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं संबंधित बैंकों से समन्वयपूर्वक कार्य करने का आवाहन किया।



इस अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन तथा "सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी न्याय" की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से 18 जुलाई को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक बाउंस

प्रकरण) से संबंधित लंबित मामलों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। दुर्ग जिले में कुल 15 खंडपीठ का गठन किया गया था, जिनके द्वारा कुल 1001 प्रकरण चिन्हांकित किए गए थे, जिनमें से कुल 449 मामले निराकृत किए गए तथा समझौता राशि 13,88,05,129 रुपए रही।

विशेष लोक अदालत: चेक बाउंस प्रकरणों के निराकरण को मिली नई गति

दुर्ग में धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम अंतर्गत आयोजित प्रथम विशेष लोक अदालत रही सफल कुल 449 मामले निराकृत तथा समझौता राशि 13,88,05,129

श्रमबिन्दु / दुर्ग

दिनांक 18 जुलाई, 2026 को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत वर्ष 2026 की आयोजित प्रथम विशेष लोक अदालत का शुभारंभ माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर रमेश सिन्हा द्वारा जिला दत्तेवाड़ा से किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के समस्त जिले के न्यायाधीशगण वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, पर विशेष लोक अदालत के आयोजन पर सभी जिलों को शुभकामनाएँ एवं बधाई प्रेषित की गयी। उन्होंने लोक अदालत को न्याय सुलभ कराने का प्रभावी माध्यम बताते हुए धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, के



अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं संबंधित बैंकों से समन्वयपूर्वक कार्य करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (इस्स), नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (स्स), बिलासपुर के मार्गदर्शन तथा सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी न्याय की अवधारणा को साकार करने के उद्देश्य से दिनांक 18 जुलाई, 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में परक्राम्य

लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक बाउंस प्रकरण) से संबंधित लंबित मामलों के निराकरण हेतु विशेष लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। दुर्ग जिले में कुल 15 खंडपीठ का गठन किया गया था, जिनके द्वारा कुल 1001 प्रकरण चिन्हांकित किए गए थे, जिनमें से कुल 449 मामले निराकृत किए गए तथा समझौता राशि 13,88,05,129/- रही।

विशेष लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी समझौते एवं सौहार्दपूर्ण संवाद के माध्यम से विवादों

का त्वरित, कम खर्चीला एवं स्थायी समाधान उपलब्ध कराना था। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की भावना के अनुरूप आयोजित इस विशेष लोक अदालत ने यह सिद्ध किया कि आपसी सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान न्याय प्राप्ति का सबसे प्रभावी एवं व्यवहारिक माध्यम है। इस विशेष लोक अदालत में अपेक्षित एवं उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए, जिसके पीछे जिला स्तर पर की गई सुनियोजित रणनीति, सतत समन्वय एवं व्यापक पूर्व तैयारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के 0 विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती आकांक्षा राठौर एवं श्रीमती अंजली सिंह की एक विशेष टीम गठित की गई थी। उक्त टीम द्वारा संबंधित अधिवक्ताओं एवं

पक्षकारों से निरंतर संपर्क स्थापित करते हुए उन्हें आपसी संवाद एवं समझौते के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही, प्रकरणवार सतत अनुश्रवण एवं समन्वय के माध्यम से अधिकाधिक मामलों के सौहार्दपूर्ण निराकरण हेतु अधिक एवं सराहनीय प्रयास किए गए।

विशेष लोक अदालत की सफलता में मध्यस्थता केन्द्र, दुर्ग की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। मध्यस्थ न्यायाधीशों द्वारा अनेक प्रकरणों में पक्षकारों को धैर्यपूर्वक समझाइश देकर, संवाद की सकारात्मक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आपसी सहमति का वातावरण निर्मित किया गया, जिसके फलस्वरूप अनेक मामलों में सफल समझौते संभव हो सके। मध्यस्थता केन्द्र की यह सक्रिय भूमिका विशेष लोक अदालत की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार सिद्ध हुई। विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन में जिला अधिवक्ता संघ, दुर्ग का उल्लेखनीय सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता रही।

चेक बाउंस के 449 मामलों का निराकरण, समझौता राशि रही 13.88 करोड़

हरिभूमि ब्यूरो 19 जुल

जिला न्यायालय में चेक बाउंस के प्रकरणों को लेकर विशेष लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। दंतेवाड़ा से हाईकोर्ट के न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। कुल 449 मामलों का निराकरण किया गया। करीब 13,88,05,129 की समझौता राशि रही। धारा 138 पर दण्डित लिखत अधिनियम 1881 के तहत प्रकरणों को सुलह के लिए रखा गया। इस अवसर पर प्रदेश के समस्त जिले के न्यायाधिशगण वर्चुअल माध्यम से जुड़े। सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं संबंधित बैंकों से समन्वयपूर्वक कार्य करने की अपील की गई। दुर्ग जिले में कुल 15 खंडपीठ का गठन किया गया था, जिनके द्वारा कुल 1001 प्रकरण चिन्हित किए गए थे। लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को आपसी समझौते एवं सौहार्दपूर्ण संवाद के माध्यम से विवादों का त्वरित, कम खर्चीला एवं स्थायी समाधान उपलब्ध कराना था।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की पावना के अनुरूप आयोजित इस विशेष लोक अदालत ने यह सिद्ध किया कि आपसी सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान न्याय प्राप्ति का सबसे प्रभावी एवं व्यवहारिक माध्यम है। इस विशेष लोक अदालत में अपेक्षित एवं उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए, जिसके पीछे जिला स्तर पर की गई सुनियोजित रणनीति, सतत समन्वय एवं व्यापक पूर्व तैयारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिला न्यायाधीश के, विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार वसंत तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा राठौर एवं अंजली सिंह की एक विशेष टीम गठित की गई थी। उक्त टीम द्वारा संबंधित अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से निरंतर संपर्क स्थापित करते हुए उन्हें आपसी संवाद एवं समझौते के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही, प्रकरणवार सतत अनुश्रवण एवं समन्वय के माध्यम से अधिकाधिक मामलों के सौहार्दपूर्ण निराकरण हेतु अथक एवं सराहनीय प्रयास किए गए।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने दंतेवाड़ा से किया वर्चुअल उद्घाटन



सुलह के लिए पक्षकारों को किया गया प्रेरित

विशेष लोक अदालत की सफलता में न्यायस्थता केन्द्र की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही। न्यायस्थ व्यवस्थाओं द्वारा अनेक प्रकरणों में पक्षकारों को वैकल्पिक समाधानों के रूप में संवाद की सफलतात्मक प्रक्रिया को अंगीकारते हुए आपसी सहमति का वातावरण निर्मित किया गया, जिससे फलस्वरूप अनेक मामलों में सफल समझौते संभव हो सके। न्यायस्थता केन्द्र की यह सक्रिय भूमिका विशेष लोक अदालत की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार सिद्ध हुई। जिला अधिवक्ता सेवा का सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता रही। अधिवक्ताओं द्वारा अपने-अपने पक्षकारों को आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रेरित करते हुए प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

ऐसी लोक अदालतों से कोर्ट में कम होता है प्रकरणों का भार

विशेष लोक अदालत में दुर्ग जिले के विभिन्न विधि महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की सहभागिता भी अत्यंत सराहनीय रही। विद्यार्थियों की यह सहभागिता न केवल उनके व्यवहारिक विधिक प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण अवसर बनी, बल्कि समाज में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के प्रति जागरूकता एवं विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में भी प्रभावी सिद्ध हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संविद्य उमेश कुमार भागवतकर ने इस विशेष लोक अदालत की सफलता में सहयोग प्रदान करने वाले सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायस्थ व्यवस्थाओं, न्यायलयों, कर्जकारियों एवं पक्षकारों के प्रति अग्रिम धन्यवाद करते हुए विस्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी इसी प्रकार आपसी समझौते एवं संवाद की भावना को बढ़ावा देकर न्याय को अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाया जाता रहेगा।

विशेष लोक अदालत • चेक बाउंस प्रकरणों के निराकरण को मिली नई गति

दुर्ग में चेक बाउंस के 449 प्रकरण सुलझे, समझौते से मिले 13.88 करोड़

सिटीरिपोर्टर | दुर्ग

प्रथम विशेष लोक अदालत की शुरुआत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति और मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर रमेश सिन्हा ने जिला दूतेवाड़ा से किया। इस अवसर पर प्रदेश के सभी जिले के न्यायाधीश वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। (NALSA), नई दिल्ली और (SLSA), बिलासपुर के मार्गदर्शन तथा 'सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी न्याय' की अवधारणा को सकार करने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में परक्रम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 (चेक बाउंस प्रकरण) से संबंधित लंबित मामलों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया।

मुख्य न्यायाधीपति द्वारा 138 परक्रम्य लिखत अधिनियम, पर विशेष लोक अदालत के आयोजन पर सभी जिलों को शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने लोक अदालत को न्याय सुलभ कराने का प्रभावी माध्यम बताते हुए धारा 138 परक्रम्य लिखत अधिनियम, के अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों,



मुख्य न्यायाधीपति रमेश सिन्हा ने विशेष लोक अदालत की शुरुआत कराई।

अधिवक्ताओं और संबंधित बैंकों से समन्वयपूर्वक कार्य करने का आह्वान किया।

दुर्ग जिले में कुल 15 खंडपीठ का गठन किया गया था, जिनके द्वारा कुल 1001 प्रकरण चिन्हांकित किए गए थे, जिनमें से कुल 449 मामले निष्कृत किए गए तथा समझौता राशि 13,88,05,129 रुपए रही। विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आकांक्षा राठौर और अंजली सिंह की एक विशेष टीम गठित की गई थी। टीम ने संबंधित अधिवक्ताओं और पक्षकारों से निरंतर संपर्क स्थापित करते हुए उन्हें आपसी संवाद एवं समझौते के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही, प्रकरणवार सतत अनुश्रवण और

समन्वय के माध्यम से अधिकाधिक मामलों के सौहार्दपूर्ण निराकरण के लिए अथक और सराहनीय प्रयास किए गए। अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पक्षकारों को आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रेरित करते हुए प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भी विशेष लोक अदालत में सकारात्मक सहयोग प्रदान करते हुए लंबित चेक अनादरण (धारा 138 परक्रम्य लिखत अधिनियम) प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की।

विशेष लोक अदालत में दुर्ग जिले के विभिन्न विधि महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की सहभागिता भी सराहनीय रही। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी

दिशा-निर्देशों तथा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिस्यूल्यूशन को प्रोत्साहित करने की नीति के अनुरूप लोक अदालत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है। विशेष रूप से धारा 138 परक्रम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामलों में आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान न केवल न्यायालयों पर लंबित मामलों का भार कम करता है, बल्कि पक्षकारों के समय, धन और श्रम की भी उल्लेखनीय बचत सुनिश्चित करता है तथा व्यावसायिक एवं सामाजिक संबंधों को भी संरक्षित रखता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने इस विशेष लोक अदालत की सफलता में सहयोग प्रदान करने वाले सभी न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, मध्यस्थ न्यायाधीशों, न्यायालयीन कर्मचारियों और पक्षकारों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी इसी प्रकार आपसी समझौते एवं संवाद की भावना को बढ़ावा देकर न्याय को अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाया जाता रहेगा।